DR Krishnadeo kumar bharti
Assistant professor (G.T)
Dept of Political science
C.M.j College Donwarihat
Khutauna, Madhubani
Email-----Kdkbharti08@gmail.com
B.A.Part--1 Paper--1 Date-24-07-2020
Mo.No--9234999361.

अधिकार की परिभाषा दे,तथा इसके विभिन्न प्रकारों की विवेचना करें।*(Define Rights and analyse its different types.)*

अधिकार और कर्तव्य केवल राजनितिशास्त्र के ही महत्वपूर्ण अंग नहीं है, वरन् मानव जाति के लिए अपने विकास तथा उन्नत जीवन के लिए भी ये आवश्यक हो गए हैं।प्रजातंत्रात्मक युग में अधिकार और कर्तव्य को जीवन आधार के रूप में स्वीकार किया गया है।अधिकारों की सृष्टि समाज द्वारा होती है, राज्य द्वारा नहीं।राज्य तो सिर्फ अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है।लॉस्की ने कहा है कि-"राज्य अधिकारों का निर्माण नहीं करता, बल्कि उनको मान्यता प्रदान करता है तथा किसी समय राज्य के स्वरूप को उसके द्वारा अधिकारों की मान्यता के आधार पर जाना जा सकता है।"अधिकार और कर्तव्य दो पहिए हैं जिनके आधार पर सामाजिक शांति और सुव्यवस्था बनी रहती है।जहाँ अधिकार है, वहाँ कर्तव्य भी है।उदाहरण के लिए, यदि हमें जीवन का अधिकार है तो दूसरे लोगों का कर्तव्य है कि वे हमारे जीवन पर आक्रमण न करें और जीवन के अधिकार को बना रहने दे।

अधिकार सम्बन्धी उपयुर्क्त विवेचन के बाद चार तथ्य दिखाई पड़ता है।
*1.*अधिकार समाज की सृष्टि हैं।
*2.*समाज के बाहर अधिकारों की सृष्टि नहीं होती।
*3.*अधिकार का आधार सार्वजनिक कल्याण है।
*4.*अधिकार का महत्व उसके उपभोग में है।

अधिकार की परिभाषा विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न रुपों मे दी गई है----
लॉस्की के अनुसार--"अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियाँ है जिनके बिना साधरणतः कोई मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता।"
ग्रीन के अनुसार----"अधिकार वह शक्ति है जिसकी लोक-कल्याण के लिए ही माँग की जाती है और मान्यता भी प्राप्त होती है।"
वाइल्ड के अनुसार----"अधिकार कोई विशेष कार्य करने के लिए स्वतंत्रता की युक्तिसंगत माँग है।"

अधिकारों का वर्गीकरण*(Classification of Rights)*-----अधिकारों का स्वरूप सामाजिक परिस्थितियों के परिवर्तन से बदलता रहता है।यही कारण है कि पुराने समय में हम जिन अधिकारों को महत्व देते थे आज वे महत्त्वहीन हो गए हैं।लॉक संपत्ति को ऐसा अधिकार मानता था जिसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता था,लेकिन आज की बदली हुई परिस्थितियों में संपत्ति संबंधी अधिकार के स्वरूप में परिवर्तन हो गया है और राज्य उसमें हस्तक्षेप कर रहा है।संक्षेप में हम अधिकारों का वर्गीकरण निम्न तरीके से कर सकते हैं---
*1.*प्राकृतिक अधिकार-----प्राकृतिक अधिकारों का अर्थ उन अधिकारों से है जो लोगों को प्राकृतिक अवस्था में प्राप्त था।हॉब्स ने प्राकृतिक अधिकार के संबंध में कहा है कि यह मनुष्य की शक्ति है जिसे वह अपनी इच्छापूर्ति के लिए मनमाना प्रयोग करता है, अर्थात हॉब्स जिसकी लाठी उसकी भैंस के सिद्धन्त को भी प्राकृतिक अधिकार समझता है।जॉन लॉक ने जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों को भी प्राकृतिक अधिकार स्वीकारा है।ये प्राकृतिक अधिकार मानव स्वाभाव में निहित है।मनुष्य न तो इन्हें दूसरों को दे सकता है और न राज्य इनका अपहरण कर सकता है।
*2.*नैतिक अधिकार----नैतिक अधिकार उन अधिकारों को कहते है जो समाज की नैतिक धारणा पर आधारित होते है, जैसे--शिष्टाचार सच्चरित्रता तथा छोटे बड़ो का ख्याल रखना रिति रिवाजों और पंरपराओं के ये विकसित रूप होते है।मनुष्य अपना नैतिक कर्तव्य समझकर इन अधिकारों का पालन करता है।
*3.*मौलिक अधिकार------मौलिक अधिकार मानव के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है।मौलिक अधिकारों के बिना सभ्य एवं श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति नहीं हो सकती। मौलिक अधिकारों के पीछे कानून की शक्ति रहती है।यदि सरकार इन अधिकारों को छीनने का प्रयास करती है तो न्यायालय इनकी रक्षा के लिए तैयार हो जाता है।यही कारण है कि बहुत से देशों ने अपने संविधानों मे नागरिकों के मौलिक अधिकारों को शामिल कर उन्हें सुरक्षित रखने का प्रयास किया है।ये अधिकार हैं-समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार आदि।
*4.*वैधानिक अधिकार------वैधानिक अधिकार वे है जिन्हें राज्य मान्यता प्रदान करता है और जिनकी रक्षा राज्य के कानूनों द्वारा होती है।लीकॉक ने वैधानिक अधिकार की परिभाषा देते हुए कहा है कि-"वैधानिक अधिकार वह विशेषाधिकार है जिसका प्रत्येक नागरिक अपने सह-नागरिकों के साथ उपभोग करता है जो राज्य की सर्वोच्च सत्ता द्वारा प्रदान किया जाता है और उसी सत्ता द्वारा उसकी रक्षा भी होती है।"वैधानिक अधिकार का उल्लंघन करनेवाले को राज्य दंड देता है।जैसे--जीवन का अधिकार व्यक्ति का कानूनी अधिकार है, इसलिए यदि कोई किसी की हत्या कर देता है तो वह दंड का भागी बनता है वैधानिक अधिकार दो तरह के होते हैं----
१.नागरिक अधिकार
२.राजनीतिक अधिकार

नागरिक अधिकार उन्हें कहते है जो राज्य द्वारा भी व्यक्तियों नागरिकों और विदेशियों को प्रदान किया जाता है।इसका आधार राज्य की नागरिकता तथा व्यक्तित्व का विकास है।

यह सबसे महत्वपूर्ण नागरिक अधिकार है।इस अधिकार का तात्पर्य जीवन रक्षा से है, क्योंकि जीवन के आभाव में अन्य नागरिकों का कोई अर्थ नहीं है।राज्य का यह कार्य है कि वह नागरिकों की जीवन रक्षा का प्रबंध करें।राज्य जीवन के इस अधिकार को साकार करने के लिए सेना पुलिस और न्यायालय की व्यवस्था करता है।

आगे, धन्यवाद।

2020-07-24
From vivo Note:

Scanned with CamScanner